**24 (2) मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच और सतर्कता अधिकारियों तथा कार्यालय अध्यक्ष के बीच मतभेद**

मुझे आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तारीख 23.3. 1985 के पत्र सं. एन डी एस पी 2 की प्रति (जिसे नीचे उद्धृत किया गया है) भेजने का निदेश हुआ है।

**(बी पी ई का तारीख 23 अप्रैल, 1985 का पत्र सं. 15 (11)/85 बी पी ई (जीएम)**

**मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच और सतर्कता अधिकारियों तथा कार्यालय अध्यक्ष के बीच मतभेद के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तारीख 23.3.1985 के पत्र संख्या 2 एन डी एस पी की प्रति**

सतर्कता संबंधी उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न उठाया गया है जहां पर मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच और सतर्कता अधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष के बीच कोई मतभेद पैदा हो जाए। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रेणी 'क' मामलों के संबंध में जिन्हें सलाह के लिए आयोग को भेजा जाना अपेक्षित होता है, सभी महत्वपूर्ण फाइलें, जिसमें वह फाइल भी शामिल है, जिसमें मामले की छानबीन की गई हो, आयोग की भी सलाह लेने के लिए आयोग को भेजी जानी आवश्यक होती है। इस प्रकार ऐसे मामलों में, आयोग ऐसी स्थिति में होगा कि वह उन सभी संबंधित प्राधिकारियों के तथ्यों और दृष्टिकोणों पर गौर कर सके जिन्होंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणी दी है। तथापि, श्रेणी ''ख'' के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, जिन्हें सलाह के लिए आयोग को भेजना अपेक्षित नहीं होता, यदि संबंधित सतर्कता अधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष के बीच कोई भी भेद हो तो मामला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश प्राप्त करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा जा सकता है जिससे कि सतर्कता अधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष के बीच मतभेद को दूर किया जा सके।

**(बी पी ई का तारीख 23 अप्रैल, 1985 का पत्र सं. 15 (11)/85 बी पी ई (जीएम)**